रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 27—फरवरी 2, 2019, शनिवार/माघ 7—माघ 13, 1940
No. 5] NEW DELHI, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2019, SATURDAY/ MAGHA 7— MAGHA 13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ. 164.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 4 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक की प्राधिकृत पूंजी को दस हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर बीस हजार करोड़ रुपए करती है।

[फा. सं. 15/24/2018-आईएफ-I]

सौम्यजित घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 2019

S.O. 173.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the Schedule:-

SCHEDULE

Name and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Shri Bimal Prasad Mohanty, Competent Authority, Paradip-Somnathpur-Haldia Pipeline Project Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No.B/2, Indian Oil Residential Colony, Meghadambaru, PO : Kuruda, Balasore-756056 (Odisha)	State of Odisha

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(11)/239/2017-OR-I/E-13892]

NOAS KINDO, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का. आ. 174.—कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 के नियम 3 के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के खण्ड 18 के उप-खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 30 दिसंबर, 2011 के का.आ. 2920 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में तालिका के लिए निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्

"तालिका

क्र.सं.	कोकिंग कोल ग्रेड	विशेष विवरण
1.	स्टील ग्रेड-I	राख की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।
2.	स्टील ग्रेड- II	राख की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक लेकिन 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।
3.	वाशरी ग्रेड-I	राख की मात्रा 18 प्रतिशत से अधिक लेकिन 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।
4.	वाशरी ग्रेड-II	राख की मात्रा 21 प्रतिशत से अधिक लेकिन 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।
5.	वाशरी ग्रेड-III	राख की मात्रा 24 प्रतिशत से अधिक लेकिन 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।
6.	वाशरी ग्रेड-IV	राख की मात्रा 28 प्रतिशत से अधिक लेकिन 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।
7.	वाशरी ग्रेड-V	राख की मात्रा 35 प्रतिशत से अधिक लेकिन 42 प्रतिशत से अधिक नहीं।
8.	वाशरी ग्रेड-VI	राख की मात्रा 42 प्रतिशत से अधिक लेकिन 49 प्रतिशत से अधिक नहीं।"

[फा. सं. 43016/9/2015-सीआरसी-I]

आर.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2920(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 174.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act,1957 (67 of 1957) read with rule 3 of the Colliery Control Rules, 2004, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O.2920(E), dated the 30th December, 2011 namely:—

In the said notification, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted namely:—

"TABLE

Sl.No.	Coking Coal Grade	Specification
1.	Steel Grade-I	Ash content not exceeding 15 percent.
2.	Steel Grade-II	Ash content exceeding 15 percent. but not exceeding 18 percent.
3.	Washery grade -I	Ash content exceeding 18 percent. but not exceeding 21 percent.
4.	Washery Grade-II	Ash content exceeding 21 percent. but not exceeding 24 percent.
5.	Washery Grade-III	Ash content exceeding 24 percent. but not exceeding 28 percent.
6.	Washery Grade-IV	Ash content exceeding 28 percent. but not exceeding 35 percent.
7.	Washery Grade-V	Ash content exceeding 35 percent. but not exceeding 42 percent.
8.	Washery Grade-VI	Ash content exceeding 42 percent. but not exceeding 49 percent.".

[F. No. 43016/9/2015-CRC-I]

R.K. SINHA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2920(E) dated the 30th December, 2011.

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2019

का.आ. 175.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1278, तारीख 30 अगस्त, 2018, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 26 अगस्त, 2018 – 01 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में, या उस पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संक्टोरिया, डाकघर दिशरगढ़, जिला पश्चिम बर्दमान – 713333 (पश्चिम बंगाल) (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए तैयार है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उस पर के सभी अधिकार, तारीख 30 अगस्त, 2018 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

(1) सरकारी कंपनी,उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधि के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानी इत्यादि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी ;